

दिनांक 13.5.2019 को जिलाधिकारी गढ़वाल की अध्यक्षता में आयोजित अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों को मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2007 के अन्तर्गत जिला स्तरीय समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में उपस्थिति रही :-

1- सर्व श्री धीराज सिंह गर्बाल	जिलाधिकारी गढ़वाल	अध्यक्ष
2- श्री लक्ष्मण सिंह रावत	प्रभागीय वनाधिकारी गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी	सदस्य
3- श्री <del>रतन सिंह रावत</del> <sup>रम. रत्न रावत</sup>	जिला समाज कल्याण अधिकारी, पौड़ी	सदस्य
4- श्री यशपाल पटवाल	जिला पंचायत सदस्य	सदस्य

*[Handwritten signatures and initials corresponding to the members listed in the table]*

बताया गया कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड बीरोंखाल में ग्राम स्यूसी होते हुये आमकुलाऊ तक मोटर मार्ग नवनिर्माण कार्य लम्बाई 7.00 कि०मी० :- निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण होना प्रस्तावित है, जिनके प्रस्ताव प्राप्त किये गये हैं। उक्त मार्गों हेतु उप स्तरीय समिति द्वारा वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत सभी कार्यवाही करते हुये निर्धारित प्रपत्र निर्गत किये गये हैं। मार्ग का विवरण निम्नवत् है :-

1- जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड बीरोंखाल में ग्राम स्यूसी होते हुये आमकुलाऊ तक मोटर मार्ग नवनिर्माण कार्य लम्बाई 7.00 कि०मी० :- यह मोटर मार्ग राज्य योजना के अन्तर्गत एन०एच० 121 के स्थल ग्राम स्यूसी से प्रारम्भ होता है तथा 7.000 कि०मी० लम्बाई में समरेखण का अन्तिम स्थल ग्राम आमकुलाऊ है। इस मार्ग के निर्माण से ग्राम स्यूसी एवं आमकुलाऊ के ग्रामीणों को मोटर मार्ग से यातायात की सुविधा उपलब्ध होगी जो 3 से 6 कि०मी० तक का रास्ता पैदल तय करते हैं उक्त ग्रामों की आबादी क्रमशः 555 एवं 119 है। इस प्रकार इस मोटर मार्ग के निर्माण से कुल 674 जनसंख्या लाभान्वित होगी। जिसमें जनपद गढ़वाल में 0.200 कि०मी० लम्बाई में सिविल वनभूमि, 0.900 कि०मी० में सिविल वनपंचायत भूमि, 0.000 कि०मी० लम्बाई में आरक्षित वन भूमि एवं 5.900 कि०मी० लम्बाई में नाप भूमि प्रभावित होगी। मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि पर कोई आदिवासी, जनजाति एवं परम्परागत वनवासी प्रभावित नहीं हो रहे हैं। इस सम्बन्ध में खण्ड स्तरीय समिति थलीसैण द्वारा अपनी संस्तुति दी गई है। उक्त ग्रामों को मोटर मार्ग से जोड़ने हेतु अन्य विकल्पों पर विचारोंपरान्त प्रस्तावित समरेखण ही उपयुक्त पाया गया है।

## निर्णय

54

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता प्राप्त) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2007 के अन्तर्गत गठित उपखण्ड स्तरीय समिति थलीसैण से प्राप्त जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड बीरोंखाल में ग्राम स्थूसी होते हुये आमकुलाऊ तक मोटर मार्ग नवनिर्माण कार्य लम्बाई 7.00 कि०मी०। निर्माण हेतु प्रस्तावित 0.180 है० सिविल भूमि, 0.810 है० सिविल वन पंचायत भूमि, 0.000 है० आरक्षित वनभूमि इस प्रकार कुल वनभूमि 0.990 है० लोक निर्माण विभाग को उप खण्ड स्तरीय समिति की संस्तुति के आधार पर जनहित में संक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति प्राप्त की गई है।

सभी उपस्थित सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुये बैठक का समापन किया गया।

(धीराज सिंह गढ़वाल) आई०ए०एस०  
जिलाधिकारी  
गढ़वाल।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० बैजरो, गढ़वाल

पत्रांक 1191/8-LAC/2018-19

दिनांक 13 May 2019

- प्रतिलिपि -
- 1- जिला समाज कल्याण अधिकारी पौड़ी गढ़वाल को सूचनार्थ प्रेषित।
  - 2- प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग पौड़ी को सूचनार्थ प्रेषित।

(आदर्श गोपाल सिंह)  
अधिशासी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०  
बैजरो (गढ़वाल)



(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

**FORM-1**  
(for linear projects)

Government of Uttarakhand Office of the District Collector Garhwal.

No 1191/B-LAC

Dated 13 May 2019

**TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN**

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9'98-FC(pt) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5<sup>th</sup> February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 0.990 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **Executive Engineer, Division C.D. PWD Baijro for Village Syunsi to Aamkulau Motor Road in Birokhal Block, Distt Pauri Garhwal.** Length 7.000 km (purpose for diversion of forest land) in **Pauri Garhwal** district falls within jurisdiction of **Syunsi, Aamkulau village (s) in Thalisan tehsils.**

It is further certified that:

- the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **0.990** hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure I to annexure II.
- the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl:- As above.

  
(D. Ray)  
**जिलाधिकारी**  
District Collector, Garhwal  
P. O. - 243001



56

**FORM-II**  
**(for projects other than linear projects)**

Government of Uttarakhand Office of the District Collector Garhwal.

No 1191/8-LAC/2018-19

Dated 13 May, 2019

**TO WHOSOEVER IT MAY CONCERN**

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that 0.990 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of C.D. PWD Baijro (name of user agency) for Village Syunsi to Aamkulau Motor Road in Birokhal Block, Distt Pauri Garhwal. Length 7.000 km (purpose for diversion of forest land) in Pauri Garhwal district falls within jurisdiction of Syunsi, Aamkulau village (s) in Thalisan tehsils.

It is further certified that:

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.990 hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure I to annexure II.
- (b) the proposal for such diversion (with full details of project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concerned Grama Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;
- (c) the each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. a copy of certificate issued by the gram sabha of Syunsi, Aamkulau villages(s) is enclosed as annexure III to annexure VIII.
- (d) the discussion and decisions on such proposals had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;
- (e) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (f) the rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1)(e) of the FRA

Encl :- As above.

**जिलाधिकारी**  
(Dinraj Singh Garbyal)  
District Collector, Garhwal



**OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER  
DISTRICT GARHWAL (U.K.)**

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Garhwal district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of **Mr. Dhiraj singh Garbyal** I.A.S deputy commissioner **Garhwal** on dated 13.05.19 at time 10:30 AM at **Pauri** in which application claiming rights in **Syunsi, Aamkulau** area measuring 0.990 hect. for the construction of **Village Syunsi to Aamkulau Motor Road in Birokhal Block, Distt Pauri Garhwal. Length 7.000 km** forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of **Thalishan** sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: ...**Pauri**...

Dated: 13.05.2019


**D. R. Singh**  
Deputy Commissioner - Chairman  
District Level Committee  
11/5/19




58

It is further Certified that minutes of meeting of Construction of Village Syunsi to Aamkulau Motor Road in Birokhal Block, District Garhwal. Length 7.000 km regarding F.R.A. is as following:-


Sl. No.		Remarks
(a)	The Complete process of identification and settlement of rights under the FRA had been carried out for the entire 0.990 hectares area proposed for diversion. A copy of record of all consultation and meeting of the forest rights committee (s), Sub Division level committee (s) are enclosed as annexure.	Yes copy of record attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.
(b)	The Diversion of forest land for facilities managed by the government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the gram sabhas have been given consent to it.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to Scheduled tribes and other traditional forest Dwellers. No Objection certificate concerned villages regarding construction of aforesaid construction of motor road is attached.
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive tribal groups and pre agricultural Communities.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.

  
 Member District Board  
 Pauri Garhwal

  
 District Social Welfare Officer  
 Pauri Garhwal

  
 Divisional Forest Officer  
 Pauri Garhwal

(सदस्य जिला पंचायत)  
 पौड़ी गढ़वाल

  
 Executive Engineer  
 P.W.D. Division Baidi  
 बेजरो (गढ़वाल)

  
 Deputy Commissioner  
 Pauri Garhwal  
 गढ़वाल



**:: प्रारूप-30.2 ::**

58 A

**परियोजना का नाम :-**

जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड बीरोंखाल में ग्राम स्यूसी होते हुये आमकुलाऊ तक मोटर मार्ग नवनिर्माण कार्य लम्बाई 7.00 कि०मी०।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, थलीसैण  
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र  
उपखण्ड स्तरीय समिति, थलीसैण

उपखण्ड थलीसैण परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड बीरोंखाल में ग्राम स्यूसी होते हुये आमकुलाऊ तक मोटर मार्ग निर्माण के लिये ( आरक्षित वन भूमि, 0.000 हे० सिविल वन भूमि, 0.180 हे० वन पंचायत भूमि, 0.810 अर्थात कुल 0.990 हे० वन भूमि ) का लोक निर्माण विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील थलीसैण) की दिनांक 17-3-2019 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री ~~मोहन लाल~~ उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- |    |                      |                           |                      |              |
|----|----------------------|---------------------------|----------------------|--------------|
| 1- | श्री <u>मोहन लाल</u> | उपजिलाधिकारी              | <u>थलीसैण गढ़वाल</u> | अध्यक्ष      |
| 2- | श्री <u>मोहन लाल</u> | उप प्रभागीय वनाधिकारी     | <u>थलीसैण गढ़वाल</u> | सदस्य        |
| 3- | श्री <u>मोहन लाल</u> | सहायक समाज कल्याण अधिकारी | <u>थलीसैण गढ़वाल</u> | सदस्य / सचिव |
| 4- | श्री <u>मोहन लाल</u> | बी०डी०सी० क्षेत्र         | <u>थलीसैण गढ़वाल</u> | सदस्य        |

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड बीरोंखाल में ग्राम स्यूसी होते हुये आमकुलाऊ तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.990 हे० वन भूमि लोक निर्माण विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, थलीसैण द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत-वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड थलीसैण परिक्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम स्यूसी होते हुये आमकुलाऊ तक मोटर मार्ग हेतु 0.990 हे० वन भूमि लोक निर्माण विभाग को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

**मोहन लाल**  
क्षेत्र पंचायत सदस्य  
को. वा. वा. (उत्तराखण्ड)

**पौड़ी उप वन प्रभाग**  
पौड़ी

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष  
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति  
तहसील-थलीसैण  
जनपद पौड़ी गढ़वाल

प्रतिलिपि :- जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष  
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति  
तहसील - थलीसैण  
जनपद पौड़ी गढ़वाल



**:: प्रारूप-30.3 ::**

परियोजना का नाम :- जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र चौबट्टाखाल में विकासखण्ड बीरोखाल के अन्तर्गत ग्राम स्यूंसी होते हुये आमकुलाऊ तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (लम्बाई 7.000 किमी०)।

**वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र**

ग्राम पंचायत का नाम - आमकुलाऊ  
तहसील बीरोखाल जिला पौड़ी गढ़वाल

**अनापत्ति प्रमाण पत्र**

उत्तराखण्ड में जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र चौबट्टाखाल में विकासखण्ड बीरोखाल के अन्तर्गत ग्राम स्यूंसी होते हुये आमकुलाऊ तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य परियोजना के निर्माण हेतु 0.180 हे० आरक्षित वन भूमि, 0.180 हे० सिविल सोयम भूमि, 0.180 हे०, वन पंचायत भूमि 0.180 हे०) अर्थात् कुल 0.180 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत आमकुलाऊ द्वारा दिनांक 15/06/2018 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। \* उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम आमकुलाऊ के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०

ग्राम सचिव

मुहर सहित

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी

ग्राम पंचायत बीरोखाल

वि०ख० बीरोखाल



ग्राम प्रधान/सरपंच

मुहर सहित



दिनांक 15.06.18 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत ...आगे...

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	जसवंत सिंह रावल	जसवंत सिंह
2	अमर सिंह रावल	अमर सिंह
3	दीश मणी ठा. डिपल	दीश मणी
4	प्रकाश चन्द	प्रकाश चन्द
5	धीरेन्द्र कन्डारी	धीरेन्द्र सिंह
6	दीवर सिंह रावल	गुरदिए
7	अनूप सिंह रावल	अनूप सिंह
8	सादिल सिंह रावल	Sadil
9	दीपा-शु रावल	Deepa Shu Raval
10	रमेश कन्डारी	Ramesh
11	पान सिंह कन्डारी	<del>पान सिंह</del>
12	गोविन्द सिंह बिबर	गोविन्द सिंह
13	सलया देवी	सलया देवी
14	माया देवी	माया देवी
15	हर्ष पाल कन्डारी	हर्ष
16	कपोती देवी	कपोती देवी
17	दया बली	दया बली
18	काली देवी	काली देवी

19. रमेश गोहर

*(Signature)*





### :: प्रारूप-30.3 ::

परियोजना का नाम :- जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र चौबट्टाखाल में विकासखण्ड बीरोखाल के अन्तर्गत ग्राम स्यूंसी होते हुये आमकुलाऊ तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (लम्बाई 7.000 किमी०)।

### वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम स्यूंसी  
तहसील चौबट्टाखाल जिला पौड़ी गढ़वाल

### अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र चौबट्टाखाल में विकासखण्ड बीरोखाल के अन्तर्गत ग्राम स्यूंसी होते हुये आमकुलाऊ तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य परियोजना के निर्माण हेतु (0.140 हे० आरक्षित वन भूमि 0.140 हे० सिविल सोयम भूमि 0.140 हे०, वन पंचायत भूमि 0.140 हे०) अर्थात् कुल 0.420 हे० वन भूमि का लोड रिजर्वेशन विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत स्यूंसी द्वारा दिनांक 16-6-18 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। \* उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम स्यूंसी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोड रिजर्वेशन प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०  
ग्राम सचिव  
मुहर सहित

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी  
ग्राम पंचायत स्यूंसी  
बि०सं० बीरोखाल





दिनांक 16-06-18 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत सूर्यो

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	जलधारी सिंह - चड्ड	
2	धीरे-धिरि	
3	विजय राम	
4	मनोराम	
5	करम चन्द	
6	मनवर सिंह	
7	आनंद सिंह	
8	विजय प्रकाश सिंह कपूर	
9	लाल सिंह	
10	दलवीर सिंह -	
11	मनोर सिंह साहू	
12	भक्ति कसनी कुमारी	
13	मालिन मोहन	
14	बिना देवी	
15	प्रभु देसाय सिंह कपूर	
16	शक्ति कुला देवी	
17	मनवर सिंह	
18	सुरेश सिंह शर्मा	

19. राजव सिंह

20. लाल सिंह

21. जेठ सिंह

22. दिनेश कुमार

23- जेठ सिंह

